संख्या-42 /2018/882 /96-आयुष-2-2018-9(बी)/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के अति आवश्यक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी0/2017-18/1970, दिनॉक 09-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में हास्टलों में अति आवश्यक सिविल एण्ड इलेक्ट्रिक वर्क, ब्वायज हास्टल, गर्ल्स हास्टल तथा टाइप-4 रेजीडेन्स में इन्टर लाकिंग टाइल्स वर्क तथा कालेज कैम्पस में रोड निर्माण कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03.08.2017 के क्रम में उक्त कार्य हेतु रू0 357.70 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तावन लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत बजट प्राविधानित रू0 1251.09 लाख में से रू0 233.71 लाख (रूपये दो करोड़ तैंतीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
3. पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03.08.2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदोंमें किया जायेगा, जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रामण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद व उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

2- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य का यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के आधार पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्य कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 3-8-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-42/2018/882(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ ।
5- निदेशक, ग्लोबल सेल,आवास एवं विकास परिषद लखनऊ ।
6 प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2/(समाज कल्याण बजट प्रकोष्ट)
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in